उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 संख्या— /2015/146(120)/XXVII(8)/07 देहरादूनः: दिनांक 22अप्रैल,2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड, राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपिटत उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तात्कालिक प्रभाव से घरेलू रसोई गैस के विक्रेता को, इसकी बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर, भारत सरकार द्वारा दी गई सिब्सिडी पर देय कर की धनराशि की सीमा तक छूट इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि छूट की धनराशि का लाभ क्रेता को प्राप्त होगा।

(भास्करानन्द) सचिव।

संख्या<u>-02 /2015/146(120)/XXVII(8)/07</u> तद्दिनांकः

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों / कर अधिवक्ताओं, तेल कम्पनियों व करदाताओं को अवगत करा दे।
 - 2— निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 150—150 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 को अभिलम्ब उपलब्ध करा दे।
 - 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4— सलाहकार कर ,उंत्तराखण्ड शासन।
 - 5— एन०आई०सी०।
 - 6- गार्ड फाइल।

वित्य प्रमास्त्र कर अगर आयुक्त कर सम्बाग्य देहराइन ् కట్టు (भास्करानन्द) सचिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication to order the publication of the following English translation of the Notification No. 02 /2015/146(120)/XXVII(8)/07 dated 29 pril 2015 for genral information.

Government Of Uttarakhand Finance Section-8 NOO2_2015/146(120)/XXVII(8)//2007 Dehradun:Dated:22,April,2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW,THETEFORE, in exercise of the powers conferred by subsection (6) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act,2005 (Act N0.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904(U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow with immediate effect a full rebate of tax, on the amount of subsidy granted by the Government of India, to the seller of Liquified Petroleum Gas (L.P.G) for domestic use at every point of sale on the condition that the rebate is passed on to the purchaser.

(Bhaskaranand) Secretary